सं0सं0–1/विविध–35/2018– 1032(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कौशल किशोर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 14/9/2018

विषयः– एम0जे0के0 अस्पताल (सदर अस्पताल), बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को उपयुक्त मानव संसाधन एवं उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना तथा अन्य संसाधनों सहित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में समाहित करने की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया एक नवस्थापित चिकित्सा महाविद्यालय है। एम0सी0आई0 द्वारा अप्रैल, 2018 में संस्थान के निरीक्षण के उपरान्त विभिन्न कमियाँ प्रतिवेदित की गई (प्रतिलिपि संलग्न) और शैक्षणिक सत्र 2018–19 में महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में नामांकन पर रोक की अनुशंसा भारत सरकार से की गई। इनमें आधारभूत संरचना, फैकल्टी, तकनीकी एवं गैर–तकनीकी कर्मियों तथा मशीन एवं उपकरणों की कमी महत्वपूर्ण है। फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018–19 में महाविद्यालय को Letter of Permission (LoP) निर्गत नहीं किया गया। नामांकन पर रोक से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा रिट पेटिशन (सिविल) सं0–634/2018 बिहार राज्य बनाम् मेडिकल कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया एवं अन्य दायर किया गया।

2– विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र के माध्यम से यह undertaking दी गई कि निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत संस्थान में विद्यमान कमियों को दूर कर लिया जायेगा। इस undertaking के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018–19 में नामांकन को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। परन्तु मामले की अगली सुनवाई से पूर्व undertaking के आलोक में कमियों को दूर करने की दिशा में किये गये कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जाना है।

3– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया के भवन का निर्माण चल रहा है, परन्तु इसमें समय लगने की संभावना है। यह भवन एम0जे0के0 अस्पताल, जो बेतिया के सदर अस्पताल के रूप में कार्यरत है, के परिसर में बन रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु एम0जे0के0 अस्पताल के पुराने भवनों को तोड़ा जाना है। फलतः सदर अस्पताल को नये स्थान पर नया भवन बनाते हुए स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक होगा।

4– वर्तमान में एम0जे0के0 अस्पताल (सदर अस्पताल), बेतिया (पश्चिम चम्पारण) का प्रशासनिक नियंत्रण स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के माध्यम से पदस्थापित अधीक्षक द्वारा होता है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया के लिए अलग अधीक्षक होते हैं। इस प्रकार अलग–अलग अधीक्षक होने से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से एवं संस्थान के विकास हेतु अन्य कार्यों में समस्या आती है।

5– तदनुसार एम0जे0के0 अस्पताल (सदर अस्पताल), बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को उपयुक्त मानव संसाधन एवं उपलब्ध सभी आधारभूत संरचना तथा अन्य संसाधनों सहित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया में समाहित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमशः

6– उक्त निर्णय से राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

7– इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/विविध–35/2018 के पृष्ठ–...../टि0 पर प्राप्त है।

8– प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Kaushal 14/9/18

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/विविध–35/2018–10320 /स्वा0, पटना, दिनांक– 14/9/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया/अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1, 10 एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Kaushal 14/9/18

सरकार के संयुक्त सचिव